भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1
02 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: अन्तर-राज्यीय सहकारी समितियां

1. श्री परिमल नथवानी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर-राज्यीय सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) निकट भविष्य में किसी नए कार्यक्रम/योजना, यदि कोई हो तो, को आरम्भ करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) नवसृजित सहकारिता मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले विभागों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) वर्तमान में, देश भर में सहकारी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए कृषि सहकारिता पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत स्कीम (सीएसआईएसएसी) नामक केवल एक ही स्कीम है, जिसके निम्नलिखित घटक हैं:

i. सहकारी समितियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) कार्यक्रमों को सहायता;
ii. सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सहायता; तथा
iii. राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता।

(ख) नए मंत्रालय के गठन के साथ, वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगे नई स्कीमों की शुरूआत किए जाने का विचार है।

(ग) और (घ) सहकारिता मंत्रालय ने पहले ही कार्य करना आरंभ कर दिया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जो एक सांविधिक निगम है और राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) जो एक सोसाइटी है, इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।

*****